आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Cottage and Village Industries Department

Resham Udyog Vikas Karya (Development of Silk Industry)

मध्य प्रदेश सरकार शासकीय रेशम केंद्र के पास रहने वाले किसानों को शहतूत रोपण और रेशमकीट पालन से कोया उत्पादन में मदद करती है, जिसमें कृमिपालन भवन, उपकरण और प्रति बैच अनुदान शामिल हैं।

क्या मिल सकता है

किसानों को शासकीय रेशम केंद्र पर एक एकड़ में शहतूत लगाने और रेशमकीट पालने में सहायता मिलती है। मदद में कृमिपालन भवन, बिजली सहित सिंचाई का साधन, पालन के उपकरण और रियायती दर पर स्वस्थ कीट समूह शामिल हैं। चौकी कृमिपालकों को सामग्री और मज़दूरी के लिए प्रति स्वस्थ समूह 10 रुपये और वयस्क कृमिपालकों को 7 रुपये का सहायक अनुदान मिलता है। शासकीय रीलिंग इकाई को बेचे गए कोये का भुगतान फेडरेशन ऑनलाइन करता है।

किसके लिए है

शासकीय रेशम केंद्र के पास रहने वाले सभी वर्ग और आय समूह के इच्छुक किसान।

मुख्य शर्तें

- योजना शासकीय रेशम केंद्र के पास रहने वाले हर वर्ग और आय समूह के इच्छुक किसानों के लिए खुली है।
- रेशम केंद्र वाले गाँव के स्थानीय किसानों का चयन रेशम केंद्र के माध्यम से होता है।
- योजना में शहतूत रोपण एक एकड़ क्षेत्र में होता है, और समय सीमा भूमि उपलब्ध होने पर निर्भर बताई गई है।
- योजना ग्रामीण क्षेत्रों के उन किसानों के लिए है जो कोया उत्पादन के लिए रेशमकीट पालते हैं।

आवेदन कैसे करें

1. अपने नज़दीकी शासकीय रेशम केंद्र या ज़िला रेशम अधिकारी से संपर्क करें, जो इस काम के लिए नामित अधिकारी हैं।
2. केंद्र वाले गाँव के हितग्राहियों का चयन रेशम केंद्र के माध्यम से होता है; आवेदन पर कोई शुल्क नहीं लगता।
3. निर्णय से असहमत हों तो अपील रेशम संचालनालय में की जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=0&Schemeid=886
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-resham-udyog-vikas/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।